<u>हरियाणा विधान सभा</u>

शुक्रवार, 27 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे प्रात: विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. <u>प्रश्न।</u>

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं।</u>

<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-4</u> जिसकी सूचना 1. **श्री अशोक कुमार अरोड़ा, एम.एल.ए.,** 2. **श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.,** 3. **श्रीमती गीता भुक्कल, एम.एल.ए.; तथा** 4. **श्रीमती शैली चौधरी, एम.एल.ए.,** द्वारा दी गई है ।	राज्य में धान खरीद से संबंधित।
<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-16</u> जिसकी सूचना 1. **श्री अदित्य देवीलाल, एम.एल.ए.; तथा** 2. **श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्यगण भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-28 जिसकी सूचना **श्री आदित्य सुरजेवाला, एम.एल.ए** द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 पर चर्चा के समय एक स्पष्टीकरणात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।

III. <u>राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ, मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।</u>

23 फरवरी, 2026 को श्री घनश्याम दास, एम.एल.ए. तथा श्री कपूर सिंह, एम.एल.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ, अर्थात्:-

''कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए:-

'कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे प्रात: सदन में देने की कृपा की है।'।''

V. विधायी कार्य।

(पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2026	एक मंत्री	हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:
26 फरवरी, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।